चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

नीलामी सूचना(अल्पकालीन)

पत्रांक संख्याः वित्त / 661 दिनांकः 08.02.23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में एकत्र विभिन्न प्रजाति का प्रकाष्ठ, जलौनी / सोख्ता **"जहाँ है जैसा है"** के आधार पर नीलामी दिनांक 14.02.2023 दिन मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर के बृहस्पति भवन में प्रातः 11.00 बजे होनी निश्चित हुयी है। प्रत्येक बोलीदाता को रू. 50,000 / –(रूपये पचास हजार मात्र) की धरोहर / अग्रिम राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम दिनांक 14.02.2023 को प्रातः 11.00 बजे से पूर्व नीलामी स्थल पर जमा करना होगा। अन्य सभी शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर देखी जा सकती है।

वित्त अधिकारी

<u>नीलामी की शर्तें</u>

1. प्रत्येक बोली दाता को रू.50,000/– अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम जमा करना होगा।
2. प्रकाष्ठ/लकड़ी **"जहां है जैसा है"** के आधार पर नीलामी में शामिल होगी। वही नीलामी में शामिल होंगी, जिनका वन विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है।
3. लकड़ी ले जाते हुए कोई भी नुकसान जैसे– तार, बिल्डिंग इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
4. अधिकतम बोली लगाने वाला ठेकेदार अगर प्रकाष्ठ व लकड़ी नहीं लेता है तो उसकी जमा की गई अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी और ठेका उसके बाद बड़ी बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है।
5. विश्वविद्यालय परिसर से प्रकाष्ठ व लकड़ी उठाने से पूर्व ठेकेदार को समस्त धनराशि नियमानुसार जी0एस0टी0 सहित विश्वविद्यालय कोष में जमा करनी होगी।
6. विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कोई भी पैसा अगर ठेकेदार देता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
7. ठेकेदार को बोली के पश्चात् अधिकतम 7 दिनों के अन्दर परिसर से नीलामी की समस्त लकड़ी व पेड़ उठाने होंगे।
8. नीलामी की लकड़ी को केवल विश्वविद्यालय कार्य दिवस के केवल प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक ही उठाया जा सकेगा।
9. ठेकेदार को स्वयं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मेरठ के कार्यालय से लकड़ी उठाने से पूर्व रवन्ना/अभिवहन अनुज्ञा इत्यादि प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. मूल्यांकित वृक्षों के नीलामी के समय सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, मेरठ की उपस्थिति अनिवार्य होगी जिससे राजस्व की हानि न होने पाये। नीलामी में नामित व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह देखे की प्रचार–प्रसार ठीक प्रकार से हुआ है अथवा नहीं। नीलामी के समय ठेकेदारों का समूह न बनने देंवे।
11. सम्बन्धित क्रेता को वृक्षों के पातन से उत्पादित प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु 38.00 प्रति टन जमा कराकर अभिवहन पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अभिवहन पास प्राप्त किये प्रकाष्ठ का अभिवहन न किया जाये।
12. मूल्यांकित प्रकाष्ठ की नीलामी से प्राप्त धनराशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करनी होगी।
13. प्रकाष्ठ व लकड़ी के निस्तारण की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जाये।